हरियाणा सरकार

माध्यमिक शिक्षा विभाग, हरियाणा

की

वर्ष 1993-94

की

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

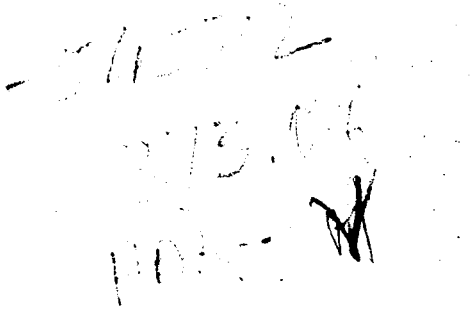

शुद्धि पत्र

पृष्ठ	पैरा/पंक्ति	जो छपा है	पढ़ा जाए
(i)	2 / 4	s nior	senior
	/ 5	etulying	studying
	5 / 4	unforms	uniforms
	/ 5	cast s	castes
	6 / 4	pro essional	professional
2	5 / 2	जात	जाता
	/ 2	म न्यता	मान्यता
3	1 / 2	मध्यमिक	माध्यमिक
	नीचे से दूसरी पंक्ति	वलफेयर	वैलफेयर
7	1 / 3	गर सरकारी	गैर सरकारी
	नीचे से 5वीं पंक्ति	येरिष्ठ	वरिष्ठ
8	हैडिंग	छात्रओं	छात्रों
24	हैडिंग	जिलवार	ज़िलेवार
30	रोहतक के सामने कालम 5 के नीचे	1719.6	171916
31	हिसार के सामने कालम 7 के नीचे	134	1341

NIEPA DC
D09323

REVIEW OF ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT FOR THE YEAR 1993-94

SECONDARY EDUCATION DEPARTMENT

The Secondary Education Department has been alive to the needs of the growing children and the necessity for their harmonious development to enable them to reach the highest standards not only in academic but also in other fields.

During the year under report 29 primary schools, 31 middle schools and 19 High schools were upgraded to middle, high and senior secondary level respectively thus bringing the total number of schools to 1425 middle, 2129 high and 510 s nior secondary schools in the State. The total number of students studying in middle, high and senior secondary schools was 496019, 1301776 and 508926 respectively. The percentage of school going children in the age group 11-13 and 14-15 reached 63.05 and 43.38 respectively. The percentage of scheduled castes students in the same age group was 53.76 and 28.79 respectively.

Educational facilities were available within a radius of 1.86 km. for middle level education and 2.31 km. for high classes.

An amount of Rs. 24652.01 lakhs was spent on Secondary Education in the year 1993-94. An amount of Rs. 1153.09 lakhs was given as grant to non-Govt. recognised aided schools.

Rs. 104.15 lakhs were spent to give free stationery to about 1.9 lakh scheduled caste children to encourage them to continue their education. A sum of Rs 75.30 lakhs was provided for providing free unforms to 128700 girl students of scheduled castes. Rs. 24.92 lakhs were spent for the purpose of special coaching in the subjects of Maths, Science and English to benefit children belonging to scheduled castes.

The number of teachers working in middle schools, high schools and senior secondary schools was 12820, 36918 and 15399 respectively. Crash programmes were undertaken to improve the pro essional competence of the teachers. An amount of Rs. 970400 was given as financial assistance to the families of teachers in distress out of Teacher's Welfare Fund.

State Council of Educational Research and Training Haryana, Gurgaon caters to the research needs and training needs of the Department. Eight District Institutes of Education and Training and nine Elementary Teacher Training Institutes were functioning in the State.

Crash programme for the repair of school buildings and addition of new class-rooms continued through the year. An amount of Rs. 224.23 lakhs was spent to repair 525 school buildings and 360 class-rooms were added at a cost of Rs. 272.65 lakhs during the year.

Govt. of India sanctioed an amount of Rs. 135 lakhs for improvement of Science Education in schools.

Total Literacy campaigns covered the districts of Ambala, Yamunanagar, Rohtak, Jind, Bhiwani and Sirsa. Post Literacy project was implemented in Panipat district. National Literacy Mission sanctioned the project for the districts of Hisar, Kurukshetra and Sonipat.

Children from the State won first prize in National School Games in Athelet ics, Wrestling, Volley Ball, Kabaddi and Hockey. 16650 students were enrolled in Junior Division, NCC and N.S.S. Programme was being implemented in 150 Senior Secondary Schools in the State.

During the reporting period Shri Phool Chand Mullana was the Education Minister, Shri G.V. Gupta worked as Financial Commissioner and Secretary to Govt. Haryana, Education Department and Smt. Anuradha Gupta, IAS held the office of Director Secondary Education, Haryana.

R.L Sudhir

Financial Commissioner and
Secretary to Govt. Haryana,
Education Department.

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No 9323
Date..... 22-10-96.

माध्यमिक शिक्षा की वर्ष 1993-94 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

अध्याय पहला

प्रशासन एवं संगठन

वर्ष 1993-94 में श्री फूलचन्द मुलाना, शिक्षा मंत्री के पद पर आसीन थे। शिक्षा आयुक्त एवं सचिव के पद पर श्री. जी बी. गुप्ता, आई. ए.एस. तथा संयुक्त सचिव के पद पर श्री आर.सी.राव. आई.ए.एस. ने कार्य किया ।

निदेशालय स्तर पर

निदेशक सैकण्डरी शिक्षा के पद पर श्रीमती प्रेमलता गुप्ता आई.ए.एस. ने कार्य किया । निम्नलिखित पदों पर नियुक्त अन्य अधिकारियों ने कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिये निदेशक सैकण्डरी शिक्षा को सहयोग दिया:-

क्रमांक	पदों का नाम	अधिकारियों की संख्या
1.	निदेशक, एस.आर.सी.	1
2.	अतिरिक्त निदेशक, जांच	1
3.	संयुक्त निदेशक, स्कूल	1
4.	प्रशासन अधिकारी (वि.)	1
5.	उप निदेशक	6
6.	युवा एवं खेल अधिकारी	1
7.	सहायक निदेशक	7
8.	मुख्य लेखा अधिकारी	1
9.	बजट अधिकारी (वि.)	1
10.	रजिस्ट्रार शिक्षा (वि.)	1
11.	सहायक जिला न्यायवादी	2

जिला स्तर पर

राज्य के प्रत्येक जिले में विद्यालयों का प्रशासन, नियन्त्रण और विकास का उत्तरदायित्व जिला शिक्षा अधिकारियों पर हैं ।

जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले में शिक्षा का विकास तथा राज्य की शिक्षा नीतियों को कार्यरूप देते हैं। जिलों में शिक्षा विकास कार्य को भलि-भांति चलाने के लिये सभी उपमण्डल शिक्षा अधिकारी अपने उप-मण्डल में शिक्षा के विकास के लिये जिला शिक्षा अधिकारियों के प्रति उत्तरदायी हैं ।

जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी की सहायता के लिये एक-एक उप जिला शिक्षा अधिकारी, एक-एक विज्ञान परामर्शदाता तथा एक एक सहायक शिक्षा अधिकारी (खेल कूद) भी नियुक्त हैं।

विद्यालय स्तर पर

सभी राजकीय मिडल, उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों का प्रशासन मुख्य अध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों के माध्यम से चलाया जाता हैं । सभी मुख्याध्यापक तथा प्रधानाचार्य अपने-अपने विद्यालय में विद्यार्थियों को सुचारू रूप से शिक्षा देने तथा उनके शैक्षिक, मानसिक तथा शारीरिक विकास के लिये जिला शिक्षा अधिकारी/विभाग के प्रति उत्तरदायी हैं ।

अराजकीय विद्यालय

अराजकीय विद्यालयों का प्रशासन उनकी अपनी प्रबन्ध समितियों द्वारा चलाया जाता है । ये विद्यालय शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त करते हैं। शिक्षा विभाग इनको सुचारू रूप से चलाने के लिये वार्षिक अनुदान देता है। इन विद्यालयों का निरीक्षण भी शिक्षा विभाग के अधिकारी करते हैं ।

शिक्षा पर व्यय

वर्ष 1993-94 में माध्यमिक शिक्षा पर 24652.01 लाख रुपये की राशि खर्च की गई । इसमें से योजनेत्तर पक्ष में 20725.68 लाख रुपय तथा

योजना पक्ष में 3926.33 लाख रुपये की राशि व्यय हुई। वर्ष 1992-93 में माध्यमिक शिक्षा पर 23236.90 लाख रुपये की राशि खर्च की गई जिसमें से योजनेत्तर पक्ष पर 19600.59 लाख रुपये की राशि खर्च की गई तथा योजना पक्ष पर 3636.31 लाख रुपये व्यय हुए।

अराजकीय विद्यालयों को अनुदान

राज्य सरकार अराजकीय विद्यालयों के घाटे की 75% तक की प्रति-पूर्ति अनुरक्षण अनुदान के रूप में करती है। रिपोर्टाधीन अवधि में अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान के रूप में 595.50 लाख रुपये की राशि दी गई।

कोठारी अनुदान के अन्तर्गत इन विद्यालयों को 544.50 लाख रुपये की राशि दी गई।

रिपोर्टाधीन अवधि में कुछ अन्य संस्थानों को भी अनुदान दिये गये जो निम्न प्रकार से हैं:

क्रमांक	संस्थान	राशि (लाखों में)
1.	साकेत मिडल विद्यालय, चण्डीमन्दिर	2.50
5.	संस्कृत महाविद्यालय	4.59
3.	हरियाणा वलफेयर सोसाईटी फार हियरिंग एण्ड स्पीकिंग हैण्डीकैप्ड	6.00

अध्याय दूसरा

राज्य में माध्यमिक शिक्षा छठी से बारहवीं कक्षा तक दी जाती है । माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था के लिये राज्य में मिडल विद्यालय, उच्च विद्यालय तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध हैं, जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है :-

मिडल शिक्षा

राज्य में मिडल शिक्षा छठी से आठवीं कक्षा तक दी जाती है । इसके लिये राज्य में अलग से मिडल विद्यालय हैं तथा इसके लिये छठी से आठवीं तक की कक्षाएं उच्च विद्यालयों तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में भी चलाई जा रही है । वर्ष 1993-94 में 29 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों का स्तर बढ़ा कर उन्हे मिडल विद्यालय किया गया । रिपोर्टाधीन अवधि में राज्य में मिडल स्कूलों की संख्या निम्न प्रकार थी :-

मिडल विद्यालय	लड़कों के	लड़कियों के	जोड़
सरकारी	1032	171	1203
गैर सरकारी	217	5	222
जोड़	1249	176	1425

राज्य में मिडल शिक्षा सुविधा 1.86 कि० मी० की परिधि में उपलब्ध है । रिपोर्टाधीन अवधि में मिडल विद्यालयों तथा मिडल स्तर पर पढ़ने वाले छात्रों की संख्या निम्न प्रकार रही है :-

(क) कुल छात्र संख्या	लड़के	लड़कियां	जोड़
विद्यालय अनुसार	267853	228166	496019
स्तर अनुसार	473155	319976	793131

(ख) अनुसूचित जाति की छात्र संख्या

	लड़के	लड़कियां	जोड़
विद्यालय अनुसार	57905	49280	107185
स्तर अनुसार	80980	47512	128492

रिपोर्टाधीन अवधि में 11–13 आयु वर्ग की जनसंख्या में से छठी से आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों की प्रतिशतता निम्न प्रकार रही :–

कुल छात्रों की प्रतिशतता	71.74	53.47	63.05
अनुसूचित जाति के छात्रों की प्रतिशतता	64.63	41.79	53.76

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान मिडल विद्यालयों तथा मिडल स्तर पर पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या निम्न प्रकार से हैं :–

	पुरुष	महिलाए	जोड़
(क) कुल अध्यापकों की संख्या :			
विद्यालय अनुसार	7358	5462	12820
स्तर अनुसार	12546	7792	20338
(ख) अनुसूचित जातियों के अध्यापकों की संख्या :			
विद्यालय अनुसार	536	119	655
स्तर अनुसार	553	151	704

उच्च शिक्षा

राज्य में उच्च शिक्षा नौवीं और दसवीं कक्षाओं में दी जाती है । इसके लिय राज्य में उच्च विद्यालय स्थापित हैं। इसके अतिरिक्त 9वीं और 10वीं की कक्षाएं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में भी चलती हैं । वर्ष 1993–94 में 31 राजकीय मिडल विद्यालयों का स्तर बढ़ाकर इन्हे उच्च विद्यालय किया गया । इस के अतिरिक्त 30 अराजकीय विद्यालयों को स्थाई मान्यता प्रदान की गई। वर्ष 1993-94 में उच्च विद्यालयों की संख्या निम्न प्रकार थी :

उच्च विद्यालय	लड़कों के	लड़कियों के	जोड़
सरकारी	1511	225	1736
गैर सरकारी	343	50	393
कुल	1854	275	2129

राज्य में उच्च शिक्षा सुविधा 2.31 कि०मी० की परिधि में उपलब्ध है । रिपोर्टाधीन अवधि में उच्च विद्यालयों तथा उच्च स्तर पर पढ़ने वाले छात्रों की संख्या निम्न प्रकार है :—

(क) कुल छात्र संख्या :	लड़के	लड़कियां	जोड़
विद्यालय अनुसार	793182	508594	1301776
स्तर अनुसार	193188	114706	307894
(ख) अनुसूचित जातियों की छात्र संख्या :			
विद्यालय अनुसार	156617	90505	247122
स्तर अनुसार	26698	12123	38821

वर्ष 1993 94 में 14-15 आयु वर्ग की जनसंख्या मे से नौवीं और दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों की प्रतिशतता निम्न प्रकार है।

कुल छात्रों की प्रतिशतता	59.12	30.03	43.38
अनुसूचित जातियों के छात्रों की प्रतिशतता	43.00	16.66	28.79

वर्ष 1993–94 में उच्च विद्यालयों तथा उच्च स्तर पर पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या निम्न प्रकार थी

(क) कुल अध्यापक संख्या :	पुरुष	महिला	जोड़
विद्यालय अनुसार	21774	15144	36918
स्तर अनुसार	11184	5861	17045
(ख) अनुसूचित जातियों के अध्यापकों की संख्या :			
विद्यालय अनुसार	1100	261	1361
स्तर अनुसार	570	134	704

वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा

राज्य में वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा 11वीं और 12वीं कक्षा में दी जाती है। रिपोर्टाधीन अवधि में 19 राजकीय उच्च विद्यालयों का स्तर बढ़ाकर उन्हें वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय किया गया। दो गर सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को स्थाई मान्यता प्रदान की गई। वर्ष 1993-94 में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की संख्या निम्न प्रकार थी।

वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	लड़कों के	लड़कियों के	जोड़
सरकारी	294	65	359
गर सरकारी	119	32	151
जोड़	413	97	510

वर्ष 1993-94 में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों तथा स्तर में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

		लड़के	लड़कियां	जोड़
(क)	कुल संख्या :			
	विद्यालय अनुसार	327276	181650	508926
	स्तर अनुसार	111339	48858	160197
(ख)	अनुसूचित जातियों के छात्रों की संख्या :			
	विद्यालय अनुसार	47689	21274	68963
	स्तर अनुसार	13741	3843	17584

वर्ष 1993-94 में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों तथा कक्षाओं में पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या निम्न प्रकार थी :

		पुरुष	महिलाएं	जोड़
(क)	कुल अध्यापक :			
	विद्यालय अनुसार	8472	6927	15399
	स्तर अनुसार	3484	2251	5735

(ख) अनुसूचित जातियों के अध्यापकों की संख्या

	पुरुष	महिलाएं	जोड़
विद्यालय अनुसार	301	184	485
स्तर अनुसार	116	46	162

छात्रों को प्रोत्साहन

राज्य के सभी राजकीय एवं अराजकीय विद्यालयों में छठी से आठवीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। इसके अतिरिक्त लड़कियों को राजकीय एवं अराजकीय विद्यालयों में नौवीं से बारहवीं कक्षा तक की भी निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। हरिजन/विमुक्त/टपरीवास/अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र/छात्राओं को छठी से आठवीं तक 40/- रुपये तथा नौवीं से बारहवीं तक 60/- रुपये प्रति छात्र/छात्रा को लेखन सामग्री हेतु वर्ष में एक बार दिये जाते हैं। वर्ष 1993-94 में इस योजना पर 63.75 लाख रुपये खर्च हुए तथा 106250 छात्र/छात्राओं को लाभ पहुंचाया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की राजकीय विद्यालयों में पढ़ रही छात्राओं को भी लेखन सामग्री खरीदने के लिए वर्ष 1993-94 में 40.00 लाख रुपये की व्यवस्था की गई तथा 86500 छात्राओं को लाभान्वित करने का प्रावधान किया गया। कक्षा 6-8 में पढ़ने वाली अनुसूचित जाति की तथा कमजोर वर्ग की छात्राओं को 50/- रुपये प्रति छात्रा की दर से मुफ्त वर्दी तथा कक्षा 9 से 12 में पढ़ने वाली अनुसूचित जाति की छात्राओं को 75/- रुपये प्रति छात्रा की दर से मुफ्त वर्दी तथा चुन्नी/दुपट्टा देने हेतु 75.30 लाख रुपये खर्च किये गये तथा 128733 छात्रायें लाभान्वित हुई।

दोहरी पारी प्रणाली

राज्य के कुछ विद्यालयों में दोहरी पारी प्रणाली भी चलती है। क्योंकि कई विद्यालयों में छात्र संख्या अधिक हो जाती है अतः इन विद्यालयों में एक पारी दोपहर तक पढ़ती है तथा दूसरी पारी दोपहर बाद पढ़ती है।

छात्र शिक्षा नीति

ऐसे क्षेत्र तथा गांव, जिन में लड़कियों के लिए माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा की सुविधा नहीं है, वहां लड़कों के लिए विद्यालयों में ही लड़कियों को प्रवेश प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराई हुई है।

विशेष कोचिंग कक्षायें

नौवीं तथा दसवीं कक्षाओं में पढ़ रहे अनुसूचित जातियों के बच्चों को गणित, अंग्रेजी तथा विज्ञान के विषयों में प्रति वर्ष 3 मास के लिए विशेष कोचिंग दी जाती है, ताकि अनुसूचित जातियों के कमजोर बच्चे अन्य छात्रों के बराबर आ सकें। ये कक्षायें आरम्भ करने के लिए प्रत्येक विषय में कम से कम 5 या उससे अधिक छात्र संख्या होनी चाहिए। इसके लिए वर्ष 1993-94 में 14.57 लाख रुपये खर्च किए गए।

राजकीय विद्यालयों में पढ़ रही अन्य वर्गों की पढ़ाई में कमजोर छात्राओं को भी गणित, विज्ञान तथा अंग्रेजी के विषयों में कक्षा 9वीं तथा 10वीं में विशेष कोचिंग दी जाती है। वर्ष 1993-94 में 296 विद्यालयों के लिये 10.65 लाख रुपये की व्यवस्था की गई।

अनुसूचित जाति के छात्रों को योग्यता स्तरोन्नत करने बारे स्कीम

यह योजना भारत सरकार द्वारा हरियाणा राज्य में वर्ष 1989-90 में श्रीमदभगवद् गीता माध्यमिक विद्यालय कुरुक्षेत्र में शुरु की गई। इसके अनुसार अनुसूचित जाति के छात्रों को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा संचालित 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा के आधार पर मैरिट में आने वाले 16 छात्रों को नौवीं कक्षा में प्रति वर्ष प्रवेश दिया जाता है। इस के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के 48 छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। इसके लिए वर्ष 1993-94 में 5.35 लाख रुपये की राशि का प्रावधान था।

अध्याय तीसरा

छात्रवृति तथा अन्य वित्तीय सहायता

सुपात्र एवं योग्य विद्यार्थियों की शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शिक्षा प्राप्ति के लिये राज्य सरकार की भिन्न–2 योजनाओं के अन्तर्गत अनेक प्रकार की छात्रवृतियां तथा वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति के छात्रों को भी शिक्षा के लिये प्रोत्साहन के रूप में अनेक प्रकार की छात्रवृतियां तथा वित्तीय सहायता दी जाती है । अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के छात्रों को समाज कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा शिक्षा विभाग को जुटाई राशि में से वजीफे एवं वित्तीय सहायता दी जाती है ।

योग्यता छात्रवृति योजना

राज्य सरकार की ओर से पांचवी कक्षा की परीक्षा के आधार पर 10/– रुपये प्रतिमास की दर से योग्यता छात्रवृति दी जाती है । यह छात्रवृति छठी से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को दी जाती है । वर्ष 1993-94 में 4014 छात्रों को छात्रवृतियों के लिये 14.15 लाख रुपय की राशि का प्रावधान था ।

आठवीं की परीक्षा पर आधारित योग्यता छात्रवृति उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की 9 वीं तथा 10 वीं कक्षा में 15/– रुपये मासिक प्रति छात्र की दर से दी जाती है । वर्ष 1993-94 में 3218 छात्रों को छात्रवृतियों के लिये 11.59 लाख रुपये की राशि का प्रावधान था ।

सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले हरियाणवी छात्रों को छात्रवृतियां

देश के विभिन्न सैनिक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले 502 हरियाणवी छात्रों पर छात्रवृति एवं कपड़ा भत्ता के रूप में 30.80 लाख रुपये व्यय किये गये । वर्ष 1992-93 में 561 छात्रों पर 32.26 लाख रुपये व्यय किए गये थे ।

ग्रामीण क्षेत्रों के सुयोग्य छात्र/छात्राओं को माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय छात्रवृतियां

ग्रामीण क्षेत्र के सुयोग्य बच्चों के लिये माध्यमिक स्तर की परीक्षा के आधार पर राज्य की ओर से 11 छात्रवृतियां प्रति विकास खण्ड की दर से दी जाती हैं । ये छात्रवृतियां प्राप्त करने वाले छात्रों में से छात्रावास में रहने वाले छात्रों को 100/-रु० प्रति मास तथा डे० स्कौलरज को (जो छात्रावास में नहीं रहते) जो 9 वीं तथा 10 वीं कक्षा में पढते हैं, उन्हें 30/-रु० प्रति मास और 11 वीं तथा 12 वीं कक्षा में पढ़ने वाले को 60/-रु० प्रतिमास की दर से छात्रवृति प्रदान की जाती है । वर्ष 1993-94 में इसके लिये 5.83 लाख रु० की व्यवस्था की गई ।

अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग तथा विमुक्त/टपरीवास जाति के विद्यार्थियों के लियें शिक्षा सम्बन्धी सभी स्कीमों के लिये राशि निदेशक, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा जुटाई जाती है। शिक्षा विभाग केवल इन्हें कार्यान्वित करता है । यह योजनाएं निम्नलिखित हैं :—

1. पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृतियां तथा अन्य वित्तीय सहायता

राज्य में पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं को सभी प्रकार की शैक्षिक, व्यवसायिक तथा तकनीकी शिक्षा के लिए विशेष सुविधाएं तथा वित्तीय सहायता दी जाती है । ऐसे छात्र बिना भेदभाव के राज्य की सभी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश पा सकते हैं । शिक्षण शुल्क और छात्रवृतियों के अतिरिक्त परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है । इस योजना के अधीन 9वीं से 12वीं कक्षाओं में पढ़ने वाले पिछड़ी जाति के उन विद्यार्थियों को जिनके माता-पिता/अभिभावक आय कर दाता नहीं हैं, विद्यार्थियों को 20/- रु० प्रतिमास की दर से छात्रवृति दी जाती है । वर्ष 1993-94 में इस योजना पर 129.04 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई तथा 53770 छात्रों को लाभ पहुंचाया । वर्ष 1992-93 में इस योजना पर 121.31 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई थी तथा 40530 छात्रों को लाभान्वित किया गया था ।

2. अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृतियां तथा अन्य वित्तीय सहायता

राज्य में अनुसूचित जाति के सभी छात्र/छात्राओं को सभी प्रकार की शैक्षिक, व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा के लिये विशेष सुविधायें तथा वित्तीय सहायता दी जाती है। ऐसे छात्र बिना भेदभाव के राज्य की सभी मान्यता प्राप्त संस्थाओं में प्रवेश पा सकते हैं । इस योजना के अधीन 9वीं से 12वीं कक्षाओं तथा विभागीय पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले उन विद्यार्थियों को जिनके माता-पिता/अभिभावक आयकर दाता नहीं हैं, क्रमशः 20/- से 30/- रुपये मासिक दर से छात्रवृति दी जाती हैं । वर्ष 1993-94 में इस योजना पर 142.08 लाख रुपये की राशि व्यय की गई तथा 59200 छात्रों को लाभ पहुंचाया । वर्ष 1992-93 में इस योजना पर 161.97 लाख रुपये की राशि व्यय की गई थी तथा 49350 छात्रों को लाभ पहुंचाया गया था ।

छठी से आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को 15 रु० प्रति मास की दर से वजीफा दिया जाता है । इस योजना पर वर्ष 1993-94 में 154.01 लाख रुपये व्यय किये गये तथा 85565 छात्रों को लाभान्वित किया गया ।

3. टपरीवास/विमुक्त जाति के छात्रों को छात्रवृति देना

विमुक्त/टपरीवास जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति के लिये अलग से एक विमुक्त जाति कल्याण योजना चल रही है । इस योजना के अधीन छठी से 12 वीं कक्षा में पढ़ रहे विमुक्त/टपरीवास जाति के बच्चों को छात्रवृति प्रदान की जाती है । यह छात्रवृति 6वीं से 8वीं कक्षा तक 15/- रु० मासिक दर से तथा 9 वीं से 12 वीं कक्षा तक 16/- रु० मासिक दर से दी जाती है । वर्ष 1993-94 में इस छात्रवृति के लिये 1.87 लाख रुपये का व्यय किया तथा 1040 छात्र/छात्राओं को लाभांवित किया गया । वर्ष 1992-93 में इस योजना पर 2.31 लाख रु० की व्यवस्था थी तथा 1100 छात्र/छात्राओ को लाभान्वित किया गया था ।

4. अनुसूचित जाति की छात्राओं को योग्यता छात्रवृति योजना

इस योजना के अधीन प्रत्यक जिले में पांच छात्रवृत्तियां 9वीं कक्षा

में दी जाती हैं। ये छात्रवृत्तियां मिडल स्तरीय परीक्षा के आधार पर दी जाती हैं तथा 10वीं, 11वीं तथा 12वीं कक्षाओं में जारी रहती हैं। ये छात्रवृत्तियां 9वीं, 10वीं, 11वीं तथा 12वीं कक्षा में क्रमशः 80/–, 100/– 120/– तथा 140 रु०/– प्रति मास की दर से दी जाती हैं। वर्ष 1993–94 में इस योजना पर 7.48 लाख रु० व्यय हुए तथा 630 छात्राओं को लाभांवित किया गया। यह छात्रवृति भी समाज कल्याण विभाग द्वारा जुटाई गई राशि में से दी जाती हैं।

5. अस्वच्छ व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों को छात्रवृति

यह योजना वर्ष 1991-92 में आरम्भ की गई। इस योजना के अन्तर्गत उन व्यक्तियों के बच्चों को, जो अस्वच्छ व्यवसाय में लगे हुए हैं, छात्रवृति दी जाती है। यह छात्रवृति छठी से आठवीं तक 40/-रु० प्रति मास की दर से तथा 9वीं से 10वीं कक्षा तक 50/- प्रति मास की दर से 10 मास के लिये दी जाती है। 1993-94 में इस छात्रवृति के लिये 11.46 लाख रुपये की राशि व्यय की गई तथा 600 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया। यह छात्रवृति भी समाज कल्याण विभाग द्वारा जुटाई गई राशि में से दी जाती है।

6. तेलगू पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृतियां

हरियाणा राज्य में तेलगू भाषा की पढ़ाई को प्रोत्साहित करने के उदेश्य से तेलगू भाषा पढ़ने वाले छात्रों को 10/- रु० प्रतिमास की दर से छात्रवृतियां दी जाती हैं। इसके अन्तर्गत 7 वीं कक्षा में तीन छात्रवृतियां दी जाती हैं जो आठवीं कक्षा में भी जारी रहती हैं। वर्ष 1993-94 में इसके लिये 24500/- रु० की व्यवस्था की गई।

7. संस्कृत भाषा विकास के उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत पढ़ रहे छात्रों को छात्रवृतियां प्रदान करना

यह स्कीम भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इस स्कीम पर व्यय होने वाली राशि की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। यह

स्कीम हरियाणा राज्य में वर्ष 1993-94 में चालू की गई है । इस स्कीम के अन्तर्गत केवल उन्हीं विद्यार्थियों को 9वीं तथा 11वीं कक्षा में छात्रवृतियां दी जाती हैं जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी से 8वीं तथा 10वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में संस्कृत का विषय लेकर पढ़ रहे हैं और कम से कम 45 % अंक एग्रीगेट में भी प्राप्त करते हैं । इन छात्रवृतियों का अगली कक्षा में सन्तोषजनक परिणाम के आधार पर नवीकरण किया जाता है । कक्षावार 20 छात्रवृतियां, 9वीं, 10वीं, 11वीं तथा 12वीं प्रत्येक कक्षा के लिये, 9वीं तथा 10वीं कक्षा के लिये 25/-रु०, 11वीं तथा 12वीं कक्षा के लिये 35/- रु० प्रति मास की दर से दी जाती हैं । वर्ष 1993-94 में इसके लिये 14,400/- रु० की राशि का प्रावधान करवाया गया और 40 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया ।

———

अध्याय चौथा

विविध

शिक्षक प्रशिक्षण

शिक्षा स्तर अध्यापकों के व्यावसायिक प्रशिक्षण पर निर्भर करता है। शिक्षा के क्षेत्र में दिन प्रति दिन कई प्रकार के नए अनुसंधान हो रहे हैं तथा अध्यापकों का इससे भलि-भांति परिचित होना आवश्यक है। शिक्षकों के व्यावसायिक दक्षता प्राप्त करने के लिए दो प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है । एक सेवाकाल से पूर्व प्रशिक्षण तथा दूसरा सेवा कालीन प्रशिक्षण ।

सेवाकाल से पूर्व प्रशिक्षण

वर्ष 1993-94 में विभाग ने निम्न संस्थाओं में डिप्लोमा-इन-एजूकेशन तथा ओ.टी. प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया :-

क्रमांक	संस्थान का नाम	डी. एड.	ओ.टी.
1	2	3	4
1	जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान मोहड़ा (अम्बाला)	105	—
2	—सम— बिरही कलां (भिवानी)	105	—
3	—सम— गुड़गांव	50	50 हिन्दी
4	—सम— इक्कस (जीन्द)	105	—
5	—सम— महेन्द्रगढ़	100	—
6	—सम— मदीना (रोहतक)	105	—
7	—सम— डींग (सिरसा)	105	—

1	2	3	4
8	—सम— बीसवांमील (सोनीपत)	55	50 संस्कृत
9	रा0प्रा0अ0प्र0संस्थान मोरनी (अम्बाला)	105	—
10	—सम— लोहारू (भिवानी)	100	—
11	—सम— ओढां (सिरसा)	105	—
12	—सम— कौल (कैथल)	105	—
13	—सम— फिरोजपुर नमक (गु0)	55	—
14	—सम— आदमपुर (हिसार)	155	—
15	—सम— जीन्द	100	—
16	—सम— राजपुर (सोनीपत)	155	—
17	—सम— ऐलनाबाद (सिरसा)	100	—

विद्यालय भवनों की देखभाल

वर्ष 1993-94 में राज्य के माध्यमिक/उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की जिला स्तर पर विभिन्न विकास योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध राशि में से नई निर्माण मुरम्मत योजनाधीन 224.23 लाख रुपये की राशि से 525 विद्यालय भवनों की मुरम्मत की गई। इसी प्रकार 360 क्षेणी कक्षों के निर्माण पर 271.65 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है। हरियाणा ग्रामीण विकास निधि से प्रशासन बोर्ड द्वारा 399 क्षेणी कक्षों के निर्माण हेतु 3,46,76,700 रु० की राशि स्वीकृत कर के सीधे सम्बन्धित उपायुक्त को भेजी गई।

भाषा नीति तथा भाषाई अल्पसंख्यक

हरियाणा एक भाषाई राज्य है और इसकी भाषा हिन्दी है। यह पहली क्षेणी से ही सभी विद्यार्थी अनिवार्य रूप से पढ़ते हैं। उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक

स्तर पर भी हिन्दी ही शिक्षा का माध्यम है। विद्यालयों में अंग्रेजी दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। यह छठी कक्षा से आरम्भ की जाती है। तीसरी भाषा में पंजाबी, संस्कृत तथा उर्दू के विषयों में शिक्षा दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त तेलगू की शिक्षा की सुविधा भी कुछ विद्यालयों में उपलब्ध है। सातवीं तथा आठवीं क्षेणी में पंजाबी, उर्दू, संस्कृत तथा तेलगू भाषा में से विद्यार्थी किसी एक भाषा का अध्ययन तीसरी भाषा के रूप में कर सकते है।

हरियाणा में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए उन्हें अपनी भाषा का अध्ययन करने की सुविधा उपलब्ध है। यदि किसी प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालय की किसी कक्षा में 10 या विद्यालय में 40 से अधिक विद्यार्थी हों जो अल्पसंख्यक से सम्बन्धित हों तो वे अपनी भाषा में पढ़ सकते हैं। परन्तु पंजाबी तथा उर्दू के लिए विद्यार्थियों की यह संख्या किसी कक्षा के लिए आठ तथा विद्यालय के लिय 30 है।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्

शिक्षा के स्तरोन्नत, विधि, शीघ्र अन्वेषण अध्ययन तथा प्रशिक्षण कार्यों द्वारा प्रदेश की शैक्षिक संस्थाओं से जुड़े प्रशासकों तथा अध्यापकों के मार्गदर्शन हेतु राज्य में शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् को स्थापना की हुई है। आरम्भ से ही यह परिषद् अपनी विशिष्ठ तथा विविध कार्यकलपों में संलग्न इकाई के माध्यम से राज्य के शैक्षिक वातावरण को समय अनुसार करने के लिये यथा सम्भव प्रयासरत है।

कम्पयूटर लिटरेसी

कम्पयूटर लिटरेसी कलास प्रौजैक्टस स्कीम हरियाणा के 64 राजकीय विद्यालयों में चल रही है। भारत सरकार ने प्रत्येक विद्यालय को 5-5 कम्पयूटर उपलब्ध कराये हैं। भारत सरकार द्वारा ही सी0एम0सी0 लिमिटेड, नई दिल्ली के माध्यम से कम्पयूटर की निःशुल्क मैन्टीनैंस सेवाए उपलब्ध हैं जो विद्यालय कम्पयूटर लिटरेसी के अधीन आते हैं उनमें तीन-तीन प्राध्यापकों को कम्पयूटर लिटरेसी का प्रशिक्षण दिलवाया जाता है और इस परियोजना की सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है।

पाठ्य पुस्तक कक्ष

राज्य के राजकीय तथा सहायता प्राप्त अराजकीय विद्यालयों में प्रयोग में

लाई जा रही कक्षा पहली से आठवीं तक की राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों के निर्माण, विकास, अद्यतन तथा समीक्षा का दायित्व सैकण्डरी शिक्षा निदेशालय हरियाणा में स्थित पाठ्य पुस्तक अनुभाग का है। इन पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण तथा वितरण का प्रभार नियन्त्रक मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग पर है।

वर्ष 1993-94 के दौरान पाठ्य पुस्तक अनुभाग ने 54 पाठ्य पुस्तकों (13 प्राथमिक कक्षाओं के लिये तथा 41 सैकण्डरी कक्षाओं के लिये) की समीक्षा एवं अद्यतन का कार्य किया।

अनुभाग के एक प्रतिनिधि ने पर्यावरण निदेशालय हरियाणा द्वारा आयोजित विभिन्न बैठकों में भाग लिया। बच्चों का ध्यान शुद्ध पर्यावरण के महत्व पर केन्द्रित करने हेतु पर्यावरण सम्बन्धी कुछ सामग्री पाठ्य पुस्तकों, विशेषतया अंग्रेजी-6 तथा हिन्दी-5 में समायोजित की गई।

अनुभाग में कार्यरत कलाकार ने सभी पाठ्य पुस्तकों का चित्रों सम्बन्धी कार्य किया तथा आवश्यकतानुसार मुख्य पृष्ठों के रंगों और डिजाईनों में परिवर्तन किया है।

विज्ञान प्रदर्शनी

बालकों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करने तथा विज्ञान शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये उपमण्डल/जिला/राज्य स्तर पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। वर्ष 1993-94 में भी इन स्तरों पर विज्ञान प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया तथा इसके लिये 39,000/- रुपये की राशि स्वीकृत की गई।

एन०सी०सी०

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा बनाए नियमों अनुसार एन०सी०सी० परियोजना के अन्तर्गत सेना की तीनों शाखाओं जल, थल तथा वायु सेना का प्रशिक्षण राज्य में कैडिटों को दिया जाता है। छात्र अपनी स्वेच्छा से एन०सी०सी० प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं अनिवार्य रूप से नहीं। इस प्रशिक्षण को चलाने का

कार्य भारत सरकार तथा राज्य सरकार मिलकर करती हैं। रिपोर्टाधीन अवधि में विद्यालयों के छात्रों के लिये स्थापित जूनियर डिविजन के कैडिटों की संख्या निम्न प्रकार थी:-

		कैडिट स्वीकृत संख्या
1.	इनफैन्टरी बटालियन (लड़कों के लिये)	13750
2.	-सम- (लड़कियों के लिये)	1000
3.	जलविंग	650
4.	वायुविंग	1450

श्रमिक विद्यापीठ, फरीदाबाद

फरीदाबाद में औद्योगिक श्रमिकों को शिक्षा देने के लिये एक श्रमिक विद्यापीठ स्थापित है। इसका उद्देश्य औद्योगिक कुशल/अकुशल श्रमिकों को शिक्षा देना, रहन-सहन का ज्ञान देना, कोई घरेलू धंधा सीखने तथा उद्योगों के प्रबन्ध में भागीदार होने का ज्ञान देना है।

एन०एस०एस०

छात्रों के व्यक्तित्व और बौद्धिक विकास के लिये भारत सरकार की सहायता से हरियाणा राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में भी यह योजना चल रही है। वर्ष 1993-94 में 150 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में यह योजना चल रही थी। जिन में स्वीकृत स्वयंसेवकों की संख्या 15,000/- थी।

साक्षरता अभियान

रजत जयन्ती समारोह के भाग के रूप में राज्य ने 8वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये जिलावार साक्षरता परियोजनाएं कार्यान्वित की जाएंगी जो क्षेत्र विशेष समयबद्ध तथा खर्च प्रभावी होंगी। इन परियोजनाओं के माध्यम से वर्ष

1997 तक 15-35 आयु वर्ग के 21.40 लाख निरक्षरों को साक्षर बनाये जाने का प्रस्ताव है।

कार्यक्रम की देख-रेख के लिये महामहिम राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय उच्च अधिकार प्राप्त समन्वय समिति का गठन किया गया है। साक्षरता से सम्बन्धित एक समिति का गठन किया गया है। साक्षरता से सम्बन्धित एक समिति मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार की अध्यक्षता में कार्य कर रही है जो उच्च अधिकार प्राप्त समिति के अधीन कार्य करती हैं। जिलों में चलाई जा रही परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिये राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति भी कार्य कर रही है।

सर्व प्रथम पानीपत जिले में इस कार्यक्रम को आरम्भ किया गया था और जिले में साक्षरता कार्यक्रम का प्रथम चरण पूरा हो चुका है। इसके अधीन 54 हजार निरक्षर नव साक्षर बने हैं। उत्तर-साक्षरता कार्यक्रम जनवरी 1993 से आरम्भ किया गया है जिसके अन्तर्गत उन निरक्षरों को भी लिया जा रहा है जो किसी कारणवश पहले चरण में साक्षरता के घेरे में नहीं लाए जा सके।

अम्बाला, यमुनानगर, रोहतक, जीन्द, भिवानी तथा सिरसा के 6 जिलों में साक्षरता परियोजनाएं 1993-94 में आरम्भ की गई जो 1994 के अन्त तक पूर्ण हो जाएगी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने हिसार, कुरुक्षेत्र तथा सोनीपत जिलों की साक्षरता परियोजनाओं को 1993-94 की अन्तिम तिमाही में अनुमोदित किया है। राज्य के 6 जिलों में पर्यावरण निर्माण का कार्य आरम्भ किया गया है और इस उद्देश्य के लिये राज्य सरकार द्वारा इन जिलों को धन राशि भी दी गई है, रिवाड़ी तथा कैथल जिलों की परियोजनाएं तैयार कर ली गई हैं और इन्हें भारत सरकार के अनुमोदनार्थ भेजा रहा है।

विज्ञान शिक्षा को प्रोत्साहन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में विज्ञान शिक्षा को सुदृढ़ करने पर जोर दिया गया है। इसके अन्तर्गत छात्रों में समस्याओं के समाधान की दक्षता निर्णय लेने की तत्परता, विज्ञान के साथ स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग एंव जीवन के अन्य पहलुओं के सम्बन्ध में खोज जैसे सुपरिचित गुणों और योग्यताओं को विकसित

करना है । वर्ष 1988-89 में इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विज्ञान शिक्षा सुधार कार्यक्रम, हिसार, गुडगावां, फरीदाबाद, जीन्द, महेन्द्रगढ़ तथा रोहतक जिलों में आरम्भ किया गया । भारत सरकार द्वारा इन 6 जिलों के 681 उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों तथा 505 मिडल विद्यालयों को विज्ञान शिक्षा सुधार के लिये 2.70 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई । 1993-94 में इन्हीं जिलों के शेष बचे 359 उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों तथा 400 मिडल विद्यालयों को विज्ञान शिक्षा सुधार के लिये भारत सरकार द्वारा 1.35 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई ।

विद्यालय क्रीड़ा

राज्य में विद्यार्थियों के शारीरिक विकास के लिए विद्यालयों में खेल-कूद की समुचित व्यवस्था है । राज्य के विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिये प्रति वर्ष जिला स्तर, राज्य स्तर तथा राष्ट्रीय स्तर पर खेल-कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है । वर्ष 1993-94 में विभिन्न स्थानों पर आयोजित प्रतियोगिताओं में राज्य की चुनी हुई टीमों ने भाग लिया । इन प्रतियोगिताओं में राज्य की टीमों ने जो स्थान प्राप्त किया, निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	प्रतियोगिता आयोजन का स्थान	खेल-कूद प्रतियोगिता का नाम	प्रतियोगिता में प्राप्त स्थान
1	2	3	4
1.	सतना (मध्यप्रदेश)	राष्ट्रीय विद्यालय खेल-कूद ग्रुप-II (कब्डडी)	प्रथम
2.	—	राष्ट्रीय खेल-कूद (वालीबाल)	द्वितीय
3.	—	राष्ट्रीय खेल कूद (कब्डडी)	चतुर्थ
4.	रांची (बिहार)	राष्ट्रीय विद्यालय खेल-कूद ग्रुप-I (हाकी)	चुतुर्थ
5.	चण्डीगढ़	राष्ट्रीय विद्यालय खेल-कूद ग्रुप-II (हाकी)	प्रथम

1	2	3	4
6.	—	राष्ट्रीय खेल-कूद (हैण्डबाल)	चुतर्थ
7.	पंजाजी (गोवा)	राष्ट्रीय खेल-कूद (बटरफलाई)	चतुर्थ
8.	पुर्नीया (बिहार)	राष्ट्रीय खेल-कूद (वालीबाल)	प्रथम
9.	नाथद्वार (मध्यप्रदेश)	राष्ट्रीय खेल-कूद (कुश्ती)	प्रथम
10.	नाथद्वार (मध्यप्रदेश)	राष्ट्रीय खेल-कूद (जुडो)	द्वितीय
11.	लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	राष्ट्रीय खेल कूद (एथलैटिक्स)	प्रथम
12.	कलकत्ता (बंगाल)	राष्ट्रीय खेल-कूद (जिमनास्टिक)	द्वितीय

राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान

अध्यापक कल्याण योजना के अन्तर्गत उन अध्यापकों/अध्यापिकाओं और उनके आश्रितों को जो विपदा स्थिति में हों, आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत शिक्षक दिवस झण्डा चन्दा के रूप में राशि एकत्रित की जाती है। वर्ष 1993-94 में झण्डा चन्दा के रूप में 27,500/-रु० एकत्रित हुए। इस राशि में से प्रतिष्ठान मृत अध्यापकों के दाह संस्कार, सेवा निवृत अध्यापकों को उनकी लड़कियों की शादी तथा उनके लम्बे समय की बिमारी पर भी सहायता देता है। कार्यरत अध्यापकों को उनकी बिमारी तथा उनके बच्चों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिये भी सहायता देता है। वर्ष 1993-94 के अध्यापक कल्याण कोष से अध्यापकों/ उनके परिवारों को 9,70,400/-रु० की राशि सहायता के रूप में वितरित की गई।

तालिका-1

वर्ष 1993-94 में जिलेवार मिडल विद्यालय संख्या

क्रम संख्या	जिले का नाम	लड़कों के लिए	लड़कियों के लिए	जोड़
1	2	3	4	5
1.	अम्बाला	87	2	89
2.	भिवानी	96	27	123
3.	फरीदाबाद	90	7	97
4.	गुड़गांव	89	11	100
5.	हिसार	123	26	149
6.	जीन्द	83	24	107
7.	कैथल	40	8	48
8.	करनाल	47	2	49
9.	कुरुक्षेत्र	53	8	56
10.	नारनौल	57	13	70
11.	पानीपत	26	10	36
12.	रिवाड़ी	68	6	74
13.	रोहतक	109	22	131
14.	सिरसा	98	8	106
15.	सोनीपत	120	5	125
16.	यमुनानगर	63	2	65
	हरियाणा	1249	176	1425

सारणी–2

वर्ष 1993–94 में जिलवार उच्च विद्यालय संख्या

क्रम संख्या	जिले का नाम	लड़कों के लिए	लड़कियों के लिए	जोड़
1	2	3	4	5
1.	अम्बाला	125	20	145
2.	भिवानी	112	24	136
3.	फरीदाबाद	151	16	167
4.	गुड़गाँव	114	15	129
5.	हिसार	259	31	290
6.	जीन्द	131	21	152
7.	कैथल	74	11	85
8.	करनाल	97	16	113
9.	कुरुक्षेत्र	60	3	63
10.	नारनौल	79	12	91
11.	पानीपत	58	5	63
12.	रिवाड़ी	72	5	77
13.	रोहतक	213	54	267
14.	सिरसा	105	9	114
15.	सोनीपत	148	24	172
16.	यमुनानगर	56	9	65
	हरियाणा	1854	275	2129

सारणी–3

वर्ष 1993–94 में जिलेवार वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयसंख्या

क्रम संख्या	जिले का नाम	लड़कों के लिए	लड़कियों के लिए	जोड़
1	2	3	4	5
1.	अम्बाला	34	8	42
2.	भिवानी	32	4	36
3.	फरीदाबाद	42	7	49
4.	गुड़गांव	21	5	26
5.	हिसार	41	11	52
6.	जींद	16	6	22
7.	कैथल	20	1	21
8.	करनाल	20	10	30
9.	कुरुक्षेत्र	19	2	21
10.	नारनौल	15	1	16
11.	पानीपत	8	7	15
12.	रिवाड़ी	18	3	21
13.	रोहतक	42	14	56
14.	सिरसा	26	3	29
15.	सोनीपत	37	10	47
16.	यमुनानगर	22	5	27
	हरियाणा	413	97	510

अनुबंध–4

वर्ष 1993-94 में जिलेवार संस्थानुसार अध्यापक संख्या (मिडल विद्यालय)

क्रम संख्या	जिले का नाम	कुल अध्यापक संख्या			अनुसूचित जाति के अध्यापकों की संख्या		
		पुरुष	महिलाएं	जोड़	पुरुष	महिलाएं	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अम्बाला	279	432	711	11	10	21
2.	भिवानी	710	373	1089	77	16	93
3.	फरीदाबाद	539	398	937	31	4	35
4.	गुड़गांव	437	308	745	31	1	32
5.	हिसार	736	426	1162	76	8	84
5.	जींद	702	307	1009	49	3	52
7.	कैथल	272	147	419	18	2	20
8.	करनाल	234	166	400	21	2	23
9.	कुरुक्षेत्र	207	164	371	27	18	45
10.	नारनौल	395	128	523	19	1	20
11.	पानीपत	245	125	370	11	1	12
12.	रिवाड़ी	497	209	706	31	4	35
13.	रोहतक	586	565	1151	39	12	51
14.	सिरसा	448	367	815	37	7	44
15.	सोनीपत	630	604	1234	38	19	57
16.	यमुनानगर	441	743	1184	20	11	31
	हरियाणा	7358	5462	12820	536	119	655

सारणी—5

वर्ष 1993-94 में जिलेवार संस्थानुसार अध्यापक संख्या (उच्च विद्यालय)

क्रम संख्या	जिले का नाम	कुल अध्यापक संख्या			अनुसूचित जाति के अध्यापकों की संख्या		
		पुरुष	महिलाएं	जोड़	पुरुष	महिलाएं	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अम्बाला	1151	1449	2600	93	81	174
2.	भिवानी	1705	788	2493	64	11	75
3.	फरीदाबाद	1609	1530	3139	75	10	85
4.	गुड़गांव	1144	1135	2279	50	5	55
5.	हिसार	2607	1633	4240	155	15	170
6.	जीन्द	1908	740	2648	85	5	90
7.	कैथल	958	395	1353	40	5	45
8.	करनाल	990	983	1973	55	10	65
9.	कुरुक्षेत्र	757	406	1163	60	34	94
10.	नारनौल	1082	325	1407	70	3	73
11.	पानीपत	841	429	1270	32	1	33
12.	रिवाड़ी	1029	462	1491	53	4	57
13.	रोहतक	2846	2240	5086	110	36	146
14.	सिरसा	704	784	1488	43	16	59
15.	सोनीपत	1847	1256	3103	48	18	66
16.	यमुनानगर	596	589	1185	67	7	74
	हरियाणा	21774	15144	36918	1100	261	1361

सारणी–6

वर्ष 1993–94 में संस्थानुसार जिलेवार अध्यापक संख्या
(वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय)

क्रम संख्या	जिले का नाम	कुल अध्यापक संख्या			अनुसूचित जाति के अध्यापकों की संख्या		
		पुरुष	महिलाएं	जोड़	पुरुष	महिलाएं	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अम्बाला	643	831	1474	65	69	134
2.	भिवानी	815	224	1039	19	4	23
3.	फरीदाबाद	801	957	1758	24	14	38
4.	गुड़गांव	388	593	981	11	5	16
5.	हिसार	647	537	1184	18	15	33
6.	जीन्द	377	256	633	10	7	17
7.	कैथल	344	237	581	8	2	10
8.	करनाल	461	456	917	8	23	31
9.	कुरुक्षेत्र	372	251	623	13	2	15
10.	नारनौल	401	79	480	18	3	21
11.	पानीपत	188	267	455	6	—	6
12.	रिवाड़ी	415	181	596	19	8	27
13.	रोहतक	929	816	1745	37	13	50
14.	सिरसा	403	253	656	14	3	17
15.	सोनीपत	895	633	1528	27	15	42
16.	यमुनानगर	393	356	749	4	1	5
	हरियाणा	8472	6927	15399	301	184	485

सारणी–7

वर्ष 1993–94 में जिलेवार छात्र संख्या (मिडल विद्यालय)

क्रम संख्या	जिले का नाम	कुल छात्र संख्या			अनुसूचित जाति की छात्र संख्या		
		लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अम्बाला	16259	15184	31443	4471	3909	8380
2.	भिवानी	26498	26043	52541	5057	5851	10908
3.	फरीदाबाद	26220	18086	44306	4740	3871	8611
4.	गुड़गांव	17092	11797	28889	3007	2491	5498
5.	हिसार	25596	23754	49350	5555	5113	10668
6.	जीन्द	21020	16897	37917	4096	2996	7092
7.	कैथल	9637	8379	18016	1905	1295	3200
8.	करनाल	11467	9076	20543	3010	2217	5227
9.	कुरुक्षेत्र	9914	8655	18569	2040	1625	3665
10.	नारनौल	13404	10582	23986	2254	1818	4072
11.	पानीपत	6532	9104	15636	1342	1777	3119
12.	रिवाड़ी	15155	13766	28921	3188	2832	6020
13.	रोहतक	19217	21499	40716	3532	3986	7519
14.	सिरसा	19619	10748	30367	4576	2009	6585
15.	सोनीपत	19897	15691	35588	4966	4118	9084
16.	यमुनानगर	10326	8905	19251	4166	3372	7538
	हरियाणा	267853	228166	496019	57905	49280	107185

सारणी–8

वर्ष 1993–94 में जिलेवार छात्र संख्या (उच्च विद्यालय)

क्रम संख्या	जिले का नाम	कुल छात्र संख्या			अनुसूचित जाति की छात्र संख्या		
		लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अम्बाला	37183	33519	70702	10772	8983	19755
2	भिवानी	54812	35188	90000	12041	7345	19386
3	फरीदाबाद	75002	43276	118278	11255	6398	17653
4	गुड़गांव	53240	27112	80352	8850	4849	13699
5	हिसार	98983	54169	153152	21470	9900	31370
6	जीन्द	60624	26533	87157	10535	3414	13949
7	कैथल	36481	20336	56817	7610	3443	11053
8	करनाल	44270	31739	76009	10405	6190	16595
9	कुरुक्षेत्र	24017	16519	40536	5107	2956	8063
10	नारनौल	34187	21282	55469	5046	3214	8260
11	पानीपत	31280	15871	47151	5790	2733	8523
12	रिवाड़ी	32201	23066	55267	5859	3720	9579
13	रोहतक	96079	75837	171916	17769	11720	29489
14	सिरसा	30408	19519	49927	6730	3403	10133
15	सोनीपत	61898	42949	104847	9737	5541	15278
16	यमुनानगर	22517	21679	44196	7641	6696	14337
	हरियाणा	793182	508594	1301776	156617	90505	247122

सारणी 9

वर्ष 1993–94 में जिलेवार छात्र संख्या (वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय)

क्रम संख्या	जिले का नाम	कुल छात्र संख्या			अनुसूचित जाति की छात्र संख्या		
		लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अम्बाला	15999	9956	25955	3660	1937	5597
2.	भिवानी	30289	11329	41618	4366	1457	5823
3.	फरीदाबाद	40782	23726	64508	4167	2079	6246
4.	गुड़गांव	21002	12443	33445	2323	908	3231
5.	हिसार	24682	11377	36059	3863	134	5204
6.	जीन्द	11796	8430	20226	1686	645	2331
7.	कैथल	12531	4686	17217	1781	381	2162
8.	करनाल	17958	11327	29285	2904	1524	4428
9.	कुरुक्षेत्र	13240	7389	20629	2132	934	3066
10.	नारनौल	14578	4923	19501	2110	548	2658
11.	पानीपत	4994	10251	15245	825	1072	1897
12.	रिवाड़ी	16353	8238	24591	2644	1136	3780
13.	रोहतक	37025	20913	57938	5442	2604	8046
14.	सिरसा	14735	6009	20744	2784	1040	3824
15.	सोनीपत	33999	19963	53962	4438	2371	6809
16.	यमुनानगर	17313	10690	28003	2564	1297	3861
	हरियाणा	327276	181650	508926	47689	21274	68963

27408—D P.I.—H[illegible]

LIBRARY & DOCUMENTATION UNIT
National Institute of Educational Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-9323
Date 22-12-97
NIEPA DC
D09323